संख्या–929 / सत्तर–1–2017

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : 05 नवम्बर, 2017

विषयः– उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2017 के दृष्टिगत विश्वविद्यालय उच्च शैक्षणिक संस्थाओ में छात्रसंघ चुनाव स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2017 की अधिसूचना दिनांक 27–10–2017 को निर्गत हो गयी है। वर्तमान में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन हेतु प्रदेश के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, राज्य सरकार के समस्त अधिकारी एवं सुरक्षा बल निर्वाचन कार्य में लगे होते हैं। इस अवधि में विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं तथा तकनीकी विश्वविद्यालयों और अन्य तकनीकी शैक्षिक संस्थानों में छात्र संघ चुनाव कराये जाने पर शान्ति भंग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके फलस्वरूप नगरीय निकायों के निर्वाचन को शान्तिपूर्ण कराने में कठिनाई होगी।

2– उक्त के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रसंघ चुनाव स्थगित रखे जाने के निर्देश उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों तथा निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को शासनादेश संख्या–928 / सत्तर–1–2017 दिनांक 04 नवम्बर, 2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विश्वविद्यालयों तथा उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रसंघ चुनाव स्थगित रखे जाने सम्बन्धी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव

प्रतिलिपि : प्रोग्रामर ई0डी0पी0 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त महाविद्यालयों की लॉगिन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचनार्थ उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

कुल सचिव
डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
फैजाबाद

s.o/g.o-2/c-3